रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 1 अगस्त, 2005/10 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जुलाई, 2005

संख्या एल0 एल0 आर0-ई0 (9)-39/2005-जेज.—श्री विन्नु भसीन, अधिवक्ता ने शिमला (शहरी) उप-मण्डल, जिला शिमला की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला मैजिस्ट्रेट, शिमला की सिफारिशों पर, जोकि इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी हैं, और नोटरी नियम, 1956 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विन्नु भसीन अधिवक्ता को शिमला (शहरी) उप-मण्डल, जिला शिमला की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से नोटरी पब्लिक नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए ।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

1677-राजपत्र/2005-1-8-2005--1,457

मूल्य : 1 रुपया ।

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-39/2005-Leg., dated 26-7-2005 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th July, 2005

No. LLR-E(9)-39/2005 Leg.—WHEREAS Shri Vinnu Bhasin, Advocate, Shimla has applied for appointment as Notary Public under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Shimla (Urban) Sub-Divsiion of Shimla district;

AND WHEREAS all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the District Magistrate, Shimla, who is a competent authority and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the Notaries Rules, 1956 is pleased to appoint Shri Vinnu Bhasin, Advocate as Notary Public within the limits of Shimla (Urban) Sub-Division of Shimla district, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित